रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2015/अग्रहायण 12, 1937
No. 746] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2015/AGRAHAYANA 12, 1937

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 30 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 924(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में चालकों के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (चालक) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएँ** - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

7. **सेवा का दायित्व :** इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड / ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1.चालक (सामान्य ग्रेड)	375* (2015) (*कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह- 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹1900/-	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कीम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश में लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
7	8	9
अनिवार्य : (i) दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) हल्के तथा भारी यानों को चलाने के लिए विधि मान्य वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक हो; (iii) मोटर वाहन प्रणाली का ज्ञान हो; (उक्त अभ्यर्थी, यान में छोटी-छोटी त्रुटियों को ठीक कर सकता हो) ; (iv) हल्के यानों को चलाने का कम से कम तीन वर्ष का और भारी यानों को चलाने का छह वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : द्विपहिया यानों को चलाने हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारक हो। टिप्पण 1 : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियुक्त हेतु दो वर्ष

भर्ती की विधि : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी है, तो वे ग्रेड, जिनमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।
10	11
सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन : परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹1800 नियमित रूप में कार्यरत सवार हलकारा (समूह ग) तथा समूह ग कर्मचारी जिनके पास हल्के/भारी यानों को चलाने के सामर्थ्य की जांच करने के लिए यान चालन परीक्षा के आधार पर हल्के तथा भारी यानों के लिए यान चालन का वैध अनुज्ञप्ति धारक हो, ऐसा न होने पर, नियमित आधार पर सवार ह·कारा का पद धारित पदधारी या केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय में वेतन बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹1800 में नियमित आधार पर कार्यरत समूह ग कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा करता हो। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : चयन के अधीन संबंधित विषय में व्यावसायिक कौशल परीक्षण तथा हल्के तथा भारी वाहनों दोनों का वाहन चालन परीक्षण शामिल है। टिप्पण 3 : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शामिल है।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है ।	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
12	13
1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या मुख्य प्रशासन अधिकारी या उप मुख्य कार्यकारी (प्रशा.) या मुख्य प्रशासन और लेखा अधिकारी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक- सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी संघटक इकाई से आटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर में उपाधि धारक एक वैज्ञानिक अधिकारी - सदस्य 4. राज्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण से एक पदाधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2.चालक ग्रेड-II	362* (2015) (*कार्य के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह- 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹2400/-	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) जिन्होंने वेतन बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹1900 में 9 वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा विभाग द्वारा निर्धारित व्यावसायिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो । टिप्पण 1 : पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद रिक्ति वर्ष हेतु निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी। टिप्पण2:जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक

				या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा। टिप्पण 4 : चयन में अभ्यार्थियों का साक्षात्कार शामिल है।

12	13
1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या मुख्य प्रशासन अधिकारी या उप मुख्य कार्यकारी (प्र) या मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक- सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी संघटक इकाई से आटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर में उपाधि धारक एक वैज्ञानिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
3.चालक ग्रेड-I	424* (2015) (*कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह- 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹2800/-	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा होता	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक ग्रेड-II जिन्होंने वेतन बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹2400 में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक ग्रेड-II तथा स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) में 15 वर्षों की नियमित आधार पर संयुक्त रूप से सेवा की हो; और विभाग द्वारा निर्धारित व्यावसायिक कौशल परीक्षा उत्तीर्ण की हो टिप्पण 1 : पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद रिक्ति वर्ष हेतु निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन

				ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा। टिप्पण 4 : चयन में अभ्यार्थियों का साक्षात्कार शामिल है।

12	13
1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या मुख्य प्रशासन अधिकारी या उप मुख्य कार्यकारी (प्रशा.) या मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक- सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी संघटक इकाई से आटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर में उपाधि धारक एक वैज्ञानिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
4.चालक (विशेष ग्रेड)	66* (2015) (*कार्यभार के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह- 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -1 ₹9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹4200/-	गैर-चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार चालक ग्रेड-II जिन्होंने वेतन बैंड-1 ₹5200-20200 + ग्रेड वेतन ₹2800 में तीन वर्षों की अर्हक सेवा की हो। टिप्पण 1 : पात्रता की अवधि की गणना के लिए पद रिक्ति वर्ष हेतु निर्णायक तारीख 1 अप्रैल होगी। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उन ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो,

				कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझा जाएगा।

12	13
1. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) या मुख्य प्रशासन अधिकारी या उप मुख्य कार्यकारी (प्र) या मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) या प्रशासन अधिकारी-III या उप लेखा नियंत्रक- सदस्य 3. परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी संघटक इकाई से आटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर में उपाधि धारक एक वैज्ञानिक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं

[सं. 20 /1(6)/ 2014-सीसीएस/16274]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक (काडर)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th November, 2015

G.S.R. 924(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Drivers in the Department of Atomic Energy, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Drivers) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. **Liability of service.**—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay band with Grade Pay/Scale	Whether Selection Post or Non-selection Post.	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Driver (Ordinary grade)	375* (2015) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Service, Group-'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 ₹5200-20200 with Grade Pay of ` 1900	Not Applicable	18-27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Pass in 10th Standard; (ii) Possession of a valid driving licence to drive light and heavy vehicles; (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iv) Experience of driving a light vehicle for at least 3 years and heavy vehicle for at least 6 years. **Desirable**: Possession of a valid driving licence to drive two wheelers. **Note 1**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed

Method of Recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment failing which by deputation/ absorption.	Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in the pay band-1 ₹5200-20200 with grade pay of ₹1800 in the Department of Atomic Energy who possess valid Driving Licence for light and heavy vehicles on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Light/Heavy Vehicles failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group C employees in the pay band-1 ₹5200-20200 with grade pay of `1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in Column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the applications. **Note 2:** The selection involves Trade test in relevant subject and driving test of both light and heavy vehicles. **Note 3:** The selection involves interview of the candidates.

If a Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
(1) Director or Deputy Secretary (Administration) or Deputy Chief Executive/A or Chief Administrative Officer or Chief Administrative and Accounts Officer - Chairman (2) Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III or Deputy Controller of Accounts – Member (3) A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering – Member (4) An official from the State Regional Transport Authority - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Driver Grade-II	362* (2015) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Service, Group-'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 ₹5200-20200 with Grade Pay ₹2400	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the pay band-1 ₹5200-20200 with grade pay of ₹ 1900 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, prescribed by the Department. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st April of the vacancy year. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not

				short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 4:** The selection involves interview of the candidates.

(12)	(13)
(1) Director or Deputy Secretary (Administration) or Deputy Chief Executive/A or or Chief Administrative Officer or Chief Administrative and Accounts Officer - Chairman (2) Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III or Deputy Controller of Accounts – Member (3) A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Driver Grade-I	424* (2015) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Service, Group-'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 ₹5200-20200 with Grade Pay of ₹2800	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade – II in the pay band-1 ₹5200-20200 with grade pay of ₹2400 with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade – II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) on regular basis; and have passed the trade test, prescribed by the Department. Note 1: The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st April of the vacancy year. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 4:** The selection involves interview of the candidates.

(12)	(13)
(1) Director or Deputy Secretary (Administration) or Deputy Chief Executive/A or Chief Administrative Officer or Chief Administrative and Accounts Officer - Chairman (2) Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III or Deputy Controller of Accounts – Member (3) A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Driver (Special Grade)	66* (2015) (*Subject to variation depending on workload)	General Central Service, Group-'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2 ₹9300-34800 with Grade Pay ₹4200	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade-II in PB-1 ₹5200-20200 with grade pay of ₹2800 with three years of qualifying service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st April of the vacancy year. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(12)	(13)
(1) Director or Deputy Secretary (Administration) or Chief Administrative Officer or Deputy Chief Executive/A or Chief Administrative and Accounts Officer - Chairman (2) Under Secretary (Administration) or Administrative Officer-III or Deputy Controller of Accounts – Member (3) A Scientific Officer from any constituent unit of Department of Atomic Energy having a degree in Automobile or Mechanical Engineering – Member	Not applicable

[No. 20/1(6)/2014-CCS/16274]

SWATI PANDEY, Director (Cadre)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Government of India
Department of Atomic Energy
Centralised Cadre Section

Anushakti Bhavan,
C.S.M. Marg,
Mumbai-400001.

No. 20/1(6)/2014-CCS/2759 February 25, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recruitment Rules for the post of Driver (OG).

Reference is invited to Notification No. 20/1(6)/2014-CCS/16274 dated 30.11.2015 notifying the recruitment rules for the post of Drivers in the Department of Atomic Energy.

2. In the Schedule to the Notification for recruitment rules for the post of Driver (Ordinary grade), (Pay Band -1 ₹5200-20200 with Grade Pay ₹1900) under Column 7, under the heading "educational and other qualifications required for direct recruits", and under sub heading "Essential", clause (iv) appearing thereto may be substituted as under:

"(iv) Consolidated experience in driving a light or Heavy vehicle for atleast 3 years".

3. Action to incorporate necessary amendment in the existing Recruitment Rules and to notify the same under Article 309 is being taken separately.

25/2/16
(A. Sukumaran)
Under Secretary

All Heads of Units.
All Administrative Heads of Units.
All Officers & Sections in DAE.